

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

आ दे श

श्रीमती रसालो वगैरा बनाम् न्यू इण्डिया एस्योरेंस कम्पनी लि. वगैरा
एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या-4595/2017

आदेश दिनांक

08.03.2019

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

श्री दिनेश कुमार गर्ग, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण

कार्यालय द्वारा इंगित त्रुटि के सम्बन्ध में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब से जाहिर है कि अपीलार्थी संख्या-4 का निधन क्लेम याचिका की विचाराधीनता व आक्षेपित पंचाट पारित होने से पूर्व हो चुका था परन्तु यह तथ्य अधीनस्थ अधिकरण के नोटिस में नहीं लाया जा सका था।

उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालय द्वारा इंगित त्रुटि Waive की जाती है।

यह अपील ग्रहणार्थ दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध की जावे।

(न्या. प्रकाश गुप्ता)

एमसीएस
M-21

सत्यमेव जयते